राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018
Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018
Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in Tel. : 0141-2722520

क्रमांकः प.8(106)/RSSB/प.अ./शीघ्रलिपिक फेज-II/2024/ दिनांकः

विज्ञप्ति

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा **शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड–II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के भाग द्वितीय (फेज–II) टंकण व आशुलिपि परीक्षण** (कम्प्यूटर आधारित) का आयोजन दिनांक 19.03.2025 व 20.03.2025 को 05 पारियों में किया गया था।

   उक्त आयोजित परीक्षा को प्रेस नोट प.8(106)/RSSB/प.आ./शीघ्रलिपिक फेज-II/2024/ RajKaj 14712631 दिनांक 10.04.2025 द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त परीक्षा का पुनः आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा :–

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक (पुनः आयोजन)	पारी	परीक्षा विवरण	परीक्षा आयोजन हेतु जिला मुख्यालय
1.	शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड–II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2024 भाग–द्वितीय (फेज–II) (टंकण व आशुलिपि परीक्षण)	29.06.2025 (रविवार)	I	हिन्दी	जयपुर
			II	अंग्रेजी	

2. **ऐसे उम्मीदवार जिन्होने दिनांक 19.03.2025 व 20.03.2025 को आयोजित शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड–II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2024 भाग–द्वितीय (फेज–II) (टंकण व आशुलिपि परीक्षण) (हिन्दी/अंग्रेजी) में उपस्थिति दर्ज कराई थी, केवल उन्हे ही उक्त तालिका अनुसार पुनः निर्धारित दिनांक 29.06.2025 को परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति दी जाएगी।**
3. परीक्षार्थियों को ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु तिथि एवं लिंक पृथक से बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
4. उक्त परीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर पृथक से जारी किये जाऐंगे।
5. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान–पत्र आदि मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो (जो Merge, Morphed एवं Tampered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन, पेन्सिल और रबर साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
6. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) मे संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्व, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
7. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

क्रमांकः प.8(106)/RSSB/प.अ./शीघ्रलिपिक फेज-II/2024/ दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ RSSB को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करायें।
2. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रमुख समाचार पत्रों (दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति) में सशुल्क प्रकाशित करानें हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.05.27 12:40:49 IST
Reason: Approved